यालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद, जिला – प्रतापगढ

सीन अधिकारी – डॉ. कुलराज मीणा (R.A.S.)

करण संख्या – 01/2014 दायर दिनांक :– 23.04.2014

निर्णय दिनांक :– 04–01–2018

1. कमरू पिता वेलिया जाति मीणा आयु वयस्क
2. शंकरलाल पिता वेलिया जाति मीणा आयु वयस्क

दोनों निवासीयान बडवास कलां (कनाड) तहसील अरनोद हा0 मु0 ठेसला तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ राज0

– अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. पुंज्या पिता वेलिया जाति मीणा आयु वयस्क
2. बाबुडा पिता वेलिया जाति मीणा आयु वयस्क

दोनों निवासीयान बडवास कलां (कनाड) तहसील अरनोद हा0 मु0 ठेसला तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ राज0

3. सरपंच ग्राम पंचायत अचनारा
4. तहसीलदार अरनोद जिला प्रतापगढ राज0 – रेस्पोण्डेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल नं0 513 दिनांक 25/02/1976 मौजा बडवास कला प0 ह0 अचनारा तहसील अरनोद

उपस्थित :– 1. श्री नन्दलाल मीणा अभिभाषक वादी

2. श्री पवन भावसार अभिभाषक प्रतिवादी

–:: निर्णय :–

अपीलान्ट की ओर से एक अपील विरूद्ध रेस्पोण्डेन्ट का पेश कर निवेदन किया है कि, अपीलान्ट व रेस्पोण्डेन्ट क्रमांक 1 व 2 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है।

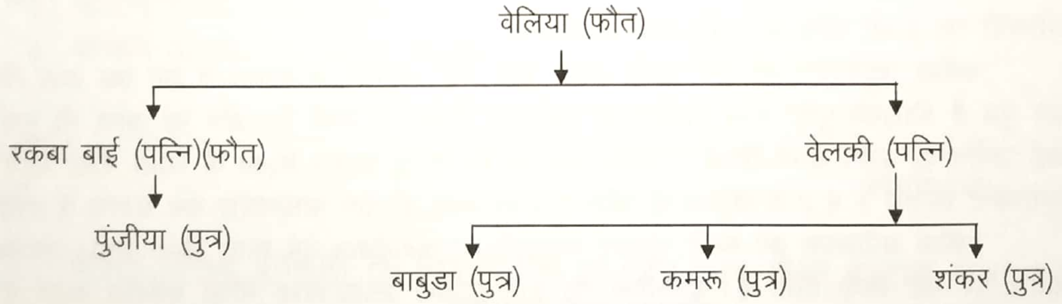

अपीलान्ट व रेस्पोण्डेन्ट के पिता श्री वेलिया मीणा के खाते व कब्जे की आराजीयात निम्न प्रकार है–

खाता नं0	आराजी नं0	रकबा
	47	14 बीघा 11 बिस्वा
	196	2 बीघा 11 बिस्वा
	198	4 बीघा 2 बिस्वा

उक्त खाते के सेटलमेंट के बाद के नम्बर व वर्तमान नये जमाबन्दी निम्न प्रकार है–

पुंजीया (पुत्र) 1. ————2————3

बाबुडा(पुत्र) कमरू (पत्र) शंकर(पत्र)

Scanned with CamScanner

खाता नं0	आराजी नं0	रकबा
150	155	3.02 है0
	403	0.52 है0
	405	0.85 है0

कुल किता :– 3 कुल रकबा :– 4.39 है0

वेलिया पिता उंकार मीणा निवासी कानड के स्वामित्व व आधिपत्य खाते कब्जे की कृषि आराजी बडवास कलां प0ह0 अचनारा तहसील अरनोद में स्थित है। उक्त आराजीयात में अपीलान्ट व रेस्पोण्डेन्ट पिछल कई वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं। रेस्पोण्डेन्ट क्रमांक 1 व 2 ने पटवार हल्का के समक्ष गलत तथ्य रखे कि वेलिया के दो पुत्र हैं व फोत हो चुका हैं तथा निवर्तमान सरपंच ने भी जिसकी तस्दीक करके रेस्पोण्डेन्ट के नाम उक्त खाते का नामान्तरण कर उनके नाम खाता खोल दिया। जो कतई अनदेखी कर खाता खोला गया हैं। जो निरस्तनीय हैं।

वेलिया पिता उंकार मीणा चारों पुत्रों में से दो बडे लडको के नाम से अपीलान्ट 1 व 2 का विभागीय गलती से इंतकाल 513 में दर्ज नहीं पाया हैं। लेकिन वेलिया पिता उंकार चार पुत्र हैं। जो मौके पर आज भी भाई बंटवारा में आई जमीन अपने अपने हिस्से मे काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलान्ट की आराजी में नाम नही होने से कृषि ऋण लेने व कृषि उन्नतशील करने में कठिनाईयों का सामना करना पडता हैं। पिता की मृत्यु में चारों पुत्रों ने मिलकर सामाजिक क्रिया कर्म सभी कार्यक्रम रिति रिवाज के अनुसार सम्पन्न करवाये व अपने पिता की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति में चारों पुत्रों का बराबर अधिकार है।

अपीलान्ट पटवार हल्का से अपने नाम की आराजी की नकल लेने गये तब अपीलान्ट को विधित हुआ कि पिता की आराजी में रेस्पोण्डेन्ट क्रमांक 1 व 2 का नाम होने से यह अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।

अपीलान्ट अधिकारी हैं कि वह गलत नामान्तरण को निरस्त करावे व अपने पिता की आराजी में अपने नाम दर्ज करावें।

रेस्पोण्डेन्ट को नोटिस स्वीकृत होकर तामिल हुए। प्रतिवादी सं0 2 की तरफ से वकील उपस्थित हुआ एवं प्रतिवादी सं0 1 एवं 3, 4 तामिल के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं0 2 की तरफ से भी वकील को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जबाव नहीं दिया गया। अतः प्रतिवादी सं0 2 की तरफ से जबाव बन्द किया गया।

वकील पक्षकारान की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने यह पक्ष रखा कि वेलिया के चार पुत्र है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत के वारिसान रिपोर्ट से होती है। और पर आज भी भाई बॅटवारा मे आई जमीन पर अपने अपने हिस्से में काश्त कर रहे हैं। परन्तु पटवार हल्का के समक्ष गलत तथ्य में रख कर रेस्पोण्डेन्ट क्रमांक 1 व 2 ने वेलिया के फौत होने पर स्वयं के नाम नामान्तरण कर सरपंच ने तस्दीक की।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है। इन्तकाल नं0 513 दिनांक 25.02.1976 मौजा बडवास कलां में पटवारी ने सजरा के आधार पर नामान्तरण नहीं किया।

अतः इंतकाल नं. 513 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अरनोद को पुनः प्रेषित किया जाता है कि, प्रकरण में पटवारी सजरा खानदान की जॉच कर नए सिरे से नामान्तरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 04-01-2018 को मेरे द्वारा जारी कर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली **फैसल शुमार हो।**

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

Scanned with CamScanner